IV 14115

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 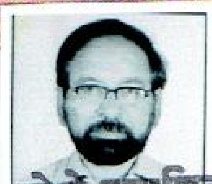 (1) U 447910

फोटो प्रमाणित

Md. Bakshish Khan

ट्रस्ट डीड

स्टा0 760/- 8464

ट्रस्ट डीड

12-3-15

मैं मो0 बख्शीश खान पुत्र अब्दुल रज्जाक खॉ निवासी ग्राम बसखारी परगना बिड़हर, तहसील टाण्डा का स्थाई निवासी हूँ। हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि एक ट्रस्ट कायम करूं जिससे समाज सेवा एवं शिक्षा का उत्थान हो सके एवं ग्रामीण परिवेश के गरीब छात्र/छात्राओं को उच्च स्तर तक तकनीकी शिक्षा ग्रहण कराया जा सके, जिसके लिए हम अक्सर गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा एवं परामर्श किया करते हैं। इसलिए हमने एक ट्रस्ट बनाने की इच्छा रखी जिसका नाम **नूरजहाँ खान वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट ग्राम मकोइया परगना बिड़हर, जिला अम्बेडकरनगर** होगा। आज दिनांक .... को हम इस ट्रस्ट की घोषणा करते है। हमने इस नेक कार्य के लिए मु0 5000=00 (पॉच हजार रूपया मात्र) इस ट्रस्ट को समर्पित करते है जो इस ट्रस्ट की स्थायी निर्योगी इस ट्रस्ट का नाम कार्यालय उद्देश्य कार्य क्षेत्र एवं कार्यावधि निम्न प्रकार होगी।

1. **ट्रस्ट का नाम :** **"नूरजहाँ खान वेलफेयर एण्ड एजूकेशनल ट्रस्ट"**
2. ट्रस्ट का पता : ग्राम मकोइया परगना बिड़हर, तहसील टाण्डा, जिला अम्बेडकरनगर
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. ट्रस्ट का उद्देश्य –
   1. ट्रस्ट द्वारा हिन्दी, उर्दू, अरबी एवं फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं संचालन व प्रबन्ध करना।
   2. ट्रस्ट द्वारा दर्स आलिया व दर्स निजामिया के मुताबिक सही इस्लामी तालीम व तरबियत का इन्तेजाम करना।
   3. ट्रस्ट द्वारा हिफ्ज कुरान, हदीस एवं फिकह की शिफा देना एवं इस्लाम और शआइरे इस्लाम की हिफाजत करना।

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(2)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 791536

4. ट्रस्ट द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों और बच्चियों के लिए दीनी व दुनयावी तालीम एवं प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क मदरसे खोलना।

5. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।

6. ट्रस्ट द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों और बच्चियों के लिए दीनी दुनयावी तालीम एवं प्रशिक्षण के लिए मदरसे खोलना।

7. ट्रस्ट द्वारा भारत के संविधान की धारा 29 में दिये गये अधिकारों के अर्न्तगत अल्पसंख्यकों के काल कलचर एवं शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना।

8. ट्रस्ट द्वारा भारत के संविधान की धारा 30(1) के तहत दिये गये अधिकारों के अर्न्तगत अल्पसंख्यक चरित्र वाले स्कूल विद्यालयों सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना एवं उसका संचालन व प्रबंधन करना।

9. ट्रस्ट द्वारा जिला अल्पसंख्यक विभाग, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सी0बी0एस0सी0 बोर्ड दिल्ली, यू0पी0 बोर्ड इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध करना।

10. ट्रस्ट द्वारा माध्यमिक एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्धन करना।

11. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण रूझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।

12. ट्रस्ट द्वारा पैरा मेडिकल, मेडिकल, चिकित्सालय, इन्जीनियरिंग, मैनेजमेन्ट एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

13. ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक नैतिक एवं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञानवर्धक पुस्तकों का भण्डारण करना तथा उसके माध्यम से लोगों में जागृति का संचार करना।

14. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना।

15. ट्रस्ट द्वारा लाइबेरी खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन प्रबन्ध करना।

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(3)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 791537

16. ट्रस्ट द्वारा बालक/बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।
17. ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्धक हितार्थ, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।
18. ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारण वश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में ही छोड देने वाली महिलाओं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम कन्डेन्स कोर्स चलाना।
19. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।
20. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों व बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
21. ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्प वर्ग, महिला वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्प पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।
22. ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं को सफल बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि कम्प्यूटर, शार्टहैड फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
23. ट्रस्ट द्वारा वृद्ध असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरुषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
24. ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना। नदियों जलाशयों की सफाई मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना।
25. ट्रस्ट द्वारा ग्राम्य विकास के लिए करना कमजोर एवं निर्बल वर्गों को निःशुल्क आवास की व्यवस्था ऊपरी भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना और भूमि संरक्षण का प्रयास करना।
26. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरुक बनाने हेतु जागरूकता शिविर लगाना एवं परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिलाना व शिशु पालन गृह का संचालन व प्रबन्ध करना।

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(4)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 791538

27. ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियों परिवर्धाओं आदि का आयोजन करना।

28. ट्रस्ट द्वारा सम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्य का आयोजन करना।

29. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला से श्रम का श्रमार्जन करना।

30. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के सहभागिता पर आधारित कार्यो को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु तकनीकी शिक्षा पौष्टिक आकार पोषण शुद्ध खाद्य पदार्थो का उपयोग स्वास्थ्य उत्थान महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन/कार्यान्वयन व संचालन करना।

31. ट्रस्ट द्वारा विकलांगों मूक वधिरों, नेत्रहीनों, मंद बुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोजगारपरक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शान्ति वातावरण सुरक्षा व दायित्व प्रदान करना। जिससे ये लोग समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सकें। जैसे कार्य करना।

32. ट्रस्ट द्वारा जड़ी बूटी व औषधियों पौधों का प्रचार – प्रसार व संचालन एवं औषधी पौधो के बारे में उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान शिक्षा प्रसार–प्रसार की व्यवस्था करना।

33. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण गंदी बस्तियों के प्रजनन व शिशुओं के लिए स्वास्थ्य मातृत्व जागरूकता तथा पौष्टिकता युक्त खाद्यपोषण दवा व उपचार की उपलब्धता, व्यवस्था का प्रबन्ध कराना।

34. ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, शक्तिकरघा, पापड़ उद्योग, नमकीन, खाद्य तेलघानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, पेन्टिंग, हस्तकला, हस्तकागज वस्त्र उद्योग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड गारमेन्टस, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उद्योग, चित्रकला

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(5)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 791539

काष्ठकला, हाथ कागज, लिफाफा, फाइवर, गिलास, मसरुम, कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण, खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधा रोपण, नर्सरी वनीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी, कताई, कमप्यूटर, शार्टहैंड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय में लगे लोगों का उत्थान करना।

35. जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण नियोजन, लिंग भेद, भ्रूण हत्या का निरोधन स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार व्यापक अभियान स्वास्थ्य परिचर्या का आयोजन करना तथा समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेक्षण के माध्यम से सुदूर ग्रामों तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पहुँचाने का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाये प्रदान करना।

36. एच0आई0वी0 / एड्स को नियंत्रित करना तथा यौन संचारित संक्रमणीय रोग का उपचार करना और राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के बीच अधिक एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करना, पल्स पोलियो अभियान का कार्य करना।

37. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियों, जंगल वासियों, अधिवासियों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों व अतिकमजोर विस्थापित व अप्रवासी / प्रवासी गरीबों व निःसहाय आवास पोषण पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना व निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।

38. पर्यावरण एवं परिस्थितियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संसाधनों का उपयोग करना एवं भौतिक कारकों में सामन्जस्य स्थापित करना।

39. ट्रस्ट द्वारा कृषि का विविधिकरण उन्नति पद्धतियों के द्वारा उत्पादन कर्ता को बढ़ाना भूमि संरक्षण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जनसंरक्षण जलसंचय तथा नमी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार–प्रसार करना।

40. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 791540

करना तथा ग्रामीण स्वच्छता स्वजल/पेयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमों को संचालित करना।

41. ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण कर दिशा निर्देशन एवं प्रचार–प्रसार एवं रोकथाम करना। प्रदूषण रहित परियोजनाओं की व्यवस्था निर्माण एवं संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों/लोगों की मदद करना।

42. ट्रस्ट द्वारा बच्चों के अधिकार संरक्षण के उपाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व प्रबन्धन करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण स्वच्छ वातावरण आवास व्यवस्था तथा शान्ती वातावरण एवं सुरक्षा का दायित्व प्रदान करने का सुदूर ग्रामांचलों तक व्यवस्था करना।

43. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुरुप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।

44. समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला, समाज नेडा, शिफसा, यूनेस्को, यू0एन0डी0पी0, कपार्ट, यूनिसेफ, सिडवी, अवार्ड, नाबार्ड, मानव मंत्रालय, वन विभाग, विकलांग एवं कुष्ठ विभाग अल्पसंख्यक कल्याण आयोग पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग ट्राइसेम, सूडा, डूडा, जननिगम, जलसंसाधन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करना।

45. ट्रस्ट द्वारा उपभोगता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों का जन–जन तक ज्ञान पहुँचाने हेतु उनके कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

46. गावों में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व महिलाओं को मौन पालन, मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना तथा मधुमक्खी पालन सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(7)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 791541

कराना एवं मौन पालन के विकास के लिए तकनीकी शोध करना।

47. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।

48. ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु किसानों की सुविधा के लिए भण्डार गृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

49. ट्रस्ट द्वारा भारत के संविधान के अर्न्तगत प्राप्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों, पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए उनकी समस्याओं को चिन्हित करना उन्हें उचित माध्यम से सरकार तक पहुचाना और इन वर्गो की सब उचित समस्याओं के निराकरण के लिए शान्ति पूर्ण ढंग से यथा उचित आवश्यक कार्य करना।

50. ट्रस्ट के द्वारा समाज के पिछड़े समुदाय के उन्नति के लिए उन्कों सरकार से सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए एवं उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक विकास के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना और भारतीय संविधान के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए उचित माहौल बनाना।

51. सरकार द्वारा बनाई गई सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग, मण्डल आयोग, गोपाल कृष्ण कमीशन आयोग एवं अन्य सरकारी आयोगों व कमेटियों के रिपोर्टो पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना एवं उचित विधिक माध्यमों से इन आयोगों और कमेटियों की रिपोर्टो को समाज के पिछड़ा वर्ग के हित में लागू कराना।

52. ट्रस्ट के द्वारा देश की जनता की भलाई और कल्याण के लिए ऐसे समस्त कार्य करना जिस पर कोई कानूनी रोक न हो।

53. ट्रस्ट के द्वारा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाना और उनकी समस्याओं को उचित माध्यम से हल कराने के लिए आवश्यकतानुसार प्रयास करना।

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(8)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 791542

54. ट्रस्ट द्वारा ऐसे प्रयास करना जिससे समाज के लोगों के साथ किये जा रहे भेद भाव समाप्त हो और उन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाये।

55. ट्रस्ट द्वारा समाज के लोगों को इस प्रकार का प्रतियोगी प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो।

56. ट्रस्ट द्वारा समाज के बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए, मुफ्त यूनिफार्म के लिए, मुफ्त किताब कापी के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना एवं अपने स्तर से यथा आवश्यक कार्य करना।

57. ट्रस्ट के द्वारा जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य सरकारी योजनाओं में आ रही समस्याओं के नियारण के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराके ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्य करना।

58. ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान कैम्प व ऑख की बीमारी का इलाज एवं मोतियाबिन्द का निःशुल्क आपरेशन कैम्प, वस्त्र वितरण, खान पान पैकेज वितरण कराने हेतु सरकार से सहायता राशि प्राप्त करना।

59. ट्रस्ट द्वारा देश पर नियोछावर होने वाले शहीदों के नाम से स्कूल, कालेज, स्वास्थ्य केन्द, मेडिकल कालेज आदि खोलना एवं रेल गाड़ियों आदि के नाम रखने पर सरकार को सुझाव देना।

60. ट्रस्ट के द्वारा वर्ग द्वारा देश की दूसरी उर्दू जबान को सभी स्कूलों में पढाने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार से लागू करने की मॉग करना।

5. ट्रस्ट के धन का विनियोग –

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विभाग की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेंचना,

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(9)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 791543

निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।

3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश–विदेश से दान व ऋण, क्रय विनियम, पथ्य किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का विक्रय, प्रबन्ध हस्तान्तरण, विनियम, बंधक, दृष्टि बंधक पट्टे, गिरवी या किसी की भाँति से उपयोग में लाना।
5. अपने समस्त कार्यों हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हों, अर्थात लाभकारी हो।

ट्रस्ट मण्डल

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा जिसमें सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या छः या छः से ज्यादा नहीं होगी।
2. ट्रस्ट के अध्यक्ष व मंत्री मण्डल का कार्यकाल आजीवन होगा।
3. ट्रस्ट के अध्यक्ष या मंत्री के मृत्योपरान्त अध्यक्ष व मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति ही अध्यक्ष या मंत्री होगा।
4. यदि अध्यक्ष या मंत्री द्वारा जीवन काल में कोई नामित नहीं किया गया तो उनके मृत्यु के बाद उनका कनिष्ट लड़का होगा। लड़के न होने की दशा में लड़कियाँ तथा उसके बाद लड़कों या लड़कियों की सन्तानें होगी।

7. ट्रस्ट की सदस्यता –

1. हर वह स्त्री पुरुष जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो, वह सदस्यता शुल्क जमा करने पर अध्यक्ष एवं मंत्री के अनुमोदन से सदस्य बन सकता है।
2. ट्रस्ट के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(16)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 791545

3. जब किसी सदस्य पर गबन या धोखाधड़ी व घपला का दोष सिद्ध होने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
4. जब वह पागल हो जाये।
5. जब सदस्य त्याग पत्र दे दे।

8. **ट्रस्ट मण्डल –**

मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की अध्यक्षता के अर्न्तगत कार्य करने वाले ट्रस्ट समूह 'ट्रस्ट मण्डल' कहलायेगा, जिसमें मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष भी सम्मिलित है। इसमें सभी प्रकार के ट्रस्टीज सम्मिलित होंगे।

9. **कोरम –**

बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज के कुल वैध सदस्यों में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति को कोरम मानी जायेगी।

10. **ट्रस्ट मण्डल (जनरल बाडी) के अधिकार एवं कर्तव्य –**

1. पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।
3. आगामी वर्ष क बजट पर चर्चा करके उसे पास करना।
4. ट्रस्ट की नियमावली में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष द्वारा किये गये संशोधन को ट्रस्ट के हित में मंजूरी देना।
5. किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु मीटिंग में पेश किया हो।
6. किसी विशेष आवश्यकता के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष की सहमति से सब कमेटी बनाना।

11. **बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज –**

मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष की अध्यक्षता के अर्न्तगत कार्य करने वाले ट्रस्ट समूल, बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज कहलायेगा, जिसमें मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष भी सम्मिलित है।

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(11)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 791546

12. **बैठक –**

ट्रस्ट मण्डल की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैठक 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है।

13. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य –**

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना/करवाना।
3. ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो।

14. **रिक्त स्थानों की पूर्ति –**

ट्रस्ट मण्डल के अर्न्तगत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष के निर्णय से बचे हुए कार्यकाल के लिए ट्रस्ट मण्डल में से की जायेगी एवं कार्यकाल पूरा होने पर उसकी नियुक्ति उस पर आजीवन स्थायी अथवा जिस व्यक्ति की स्थान खाली हुआ है उसके स्थान पर नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष के निर्णय से की जायेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष ता उम्र अपने पद पर बने रहेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की मृत्यु के बाद उनका कानूनी वारिस उनका कनिष्ठ पुत्र मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर होगा। और अध्यक्ष की मृत्यु के बाद उनका कानूनी वारिस उनका कनिष्ठ पुत्र मोहसिन खान को अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।

15. **ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –**

मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर –

1. बिल एवं वाउचरों पर हस्ताक्षर अध्यक्ष के साथ करना।
2. कर्मचारियों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति अध्यक्ष की सहमति से करना।
3. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में निर्णय अध्यक्ष की सहमति से लेना।
4. ट्रस्ट का कार्यालयीय प्रबन्ध देखना।
5. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय की स्वीकृति अध्यक्ष की सहमति से प्रदान करना।

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये   Rs.20

रु.20   TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(12)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   22AA 791547

6. ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
7. ट्रस्ट के बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को देना।
8. समस्त कर्मचारियों को लाभ प्रदान करना, वेतन देना, वेतन में वृद्धि एवं कटौती करना अथवा उन लोगों द्वारा लिए गये ऐसे निर्णय जो ट्रस्ट अथवा उसके लिए अहितकारी या अलाभकारी हो उनके क्रियान्वयन पर रोक अध्यक्ष की सहमति से लगाना।
9. समस्त सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्द्धन करना।
10. ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियां/यूनिटें सम्मिलित हैं) को तैयार करना।
11. ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अध्यक्ष की सहमति से करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना।
12. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार अध्यक्ष की सहमति से करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
13. ट्रस्ट के विकास हेतु दान–अनुदान चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।
14. पक्ष विपक्ष के मुकदमें की पैरवी अध्यक्ष की सहमति से करना।
15. चल एवं अचल सम्पत्ति की देख–रेख व सुरक्षा करना।

अध्यक्ष :

1. सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. बैठकों के लिए दिनाकों का अनुमोदन व परिवर्तन करना।
4. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
5. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(13)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22AA 791548

6. ट्रस्ट की वित्तीय मामलों में निर्णय अध्यक्ष की सहमति से होगा।
7. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय की स्वीकृति अध्यक्ष की सहमति से होगा।
8. ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
9. समस्त कर्मचारियों को अध्यक्ष की सहमति से वेतन देना, वेतन में वृद्धि एवं कटौती करना अथवा उन लोगों द्वारा लिए गये ऐसे निर्णय जो ट्रस्ट अथवा उसके लिए अहितकारी हो उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाना।
10. समस्त सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना।
11. ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों को तैयार करना।
12. ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की सहमति से करना।
13. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार मैनेजिग ट्रस्टी/मैनेजर के साथ करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
14. प्रशासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वाहन करना।
15. ट्रस्ट के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना।
16. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
17. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
18. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
19. चल एवं अचल सम्पत्ति को देख–रेख व सुरक्षा मैनेंजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति से करना।

सचिव :

1. समस्त संस्थाओं/एंजेसियों/विभाग/मंत्रालय से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
2. ट्रस्ट के बैठकों की सूचना प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों को देना।
3. संस्था की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।

Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(14)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

45AC 285821

4. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
5. अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
6. ट्रस्ट के विकास हेतु दान–अनुदान, चंदा, सदस्यता, शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी रसीद मैनेजिंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष की सहमति से देना।
7. संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।

16. <u>ट्रस्ट का कोष –</u>

ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा।

17. <u>ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट –</u>

ट्रस्ट के आय व्यय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा, जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष के निर्णय से होगी। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

18. <u>ट्रस्ट के नियमों एवं पिनियमों में संशोधन की प्रक्रिया –</u>

ट्रस्ट के नियमों एवं विनियमों में यदि किसी संशोधनों की आवश्यकता हो तो इसके लिए बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज की बैठक करके इस आशय का प्रस्ताव साधारण सदस्यों के बहुमत से पारित कर सकते है और ऐसे नियमों/विनियमों के परिवर्तन को मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूरक ट्रस्टडीड को रजिस्टर्ड कराया जायेगा।

19. <u>ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व –</u>

ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवी अध्यक्ष व उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

20. <u>दायित्व –</u>

ट्रस्ट की प्रदत्त ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक–पृथक रूप से होगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्व के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत में देगे तथा यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा। Md. Bakshish Khan

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(15)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

45AC 285822

21. ट्रस्ट के पदाधिकारियों के नाम, पते पद तथा जिनको इस ट्रस्ट में कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0सं0	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	मो0 बख्शीश खान पुत्र अब्दुल रज्जाक खाँ	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट बसखारी परगना बिड़हर तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर	व्यापार
2.	मोहसिन खान पुत्र मो0 बख्शीश	मंत्री	ग्राम व पोस्ट बसखारी परगना बिड़हर तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर	व्यापार
3.	नूरजहां खान पत्नी बख्शीश खान	सदस्य	ग्राम व पोस्ट बसखारी परगना बिड़हर तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर	गृहणी
4.	इमरान खान पुत्र बख्शीश खान	सदस्य	ग्राम व पोस्ट बसखारी परगना बिड़हर तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर	व्यापार
5.	रुदाबा खान पत्नी अनीसुर्रहमान खान	सदस्य	ग्राम व पोस्ट बसखारी परगना बिड़हर तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर	गृहणी
6.	सैयद नूरुलऐनअशरफ पुत्र कलीम अशरफ	सदस्य	ग्राम व पोस्ट बसखारी परगना बिड़हर तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर	व्यापार

22. ट्रस्ट का विघटन –

ट्रस्ट के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इस आधार पर होगी कि यदि ट्रस्ट मण्डल के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर एवं अध्यक्ष की सहमति से ऋण की अदायगी व बकाये कर्ज का निरतारण करके सभी पदाधिकारियों की सहमति से की जायेगी।

Md. Bakshish Khan

गवाहान

MOHSIN KHAN
S/O MD. BAKSHISH KHAN
VILLAGE- BASKHARI
PARGANA- BIRHAR
TEHSIL - TANDA

गवाह
अमरेन्द्र कुमार
ग्रा० [illegible]
पर० - बिड़हर
तह० - टाण्डा